

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थागण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2286/2024 चतुर्भुज नागर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 3. संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा) कोटा डिवीजन, कोटा (राज.)। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)।	11.06.2024	30.06.2020	श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक
2.	2295/2024 कवर लाल मालव	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर।	15.07.2024	30.06.2022	श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक
3.	2296/2024 कमलकांत मिश्रा			30.06.2022	
4.	2297/2024 जगदीश चन्द्र गुप्ता			30.06.2022	
5.	2298/2024 शिव शंकर शर्मा			30.06.2021	
6.	2299/2024 दौलतराम अहीर			उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 से 3 4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर डिवीजन, उदयपुर। 5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर।	
7.	2300/2024 विनोद कुमार शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. आयुक्त, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जे.एल. एन.मार्ग, जयपुर। 3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, ज्योति नगर, जयपुर।		30.06.2022	

आदेश की दिनांक : 15.07.2024

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2286/2024 चतुर्भुज नागर बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर, जिला जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष पूर्ण होने पर एक जुलाई से एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भीमखेडा कानपुर, जिला झालावाड से दिनांक 30.06.2020 को आदेश दिनांक 19.12.2019 के द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हुआ। उनका कथन है कि अपीलार्थी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर माह जुलाई से मिलने वाला एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया और अपीलार्थी दिनांक 30.06.2020 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 जिसमें कार्मिक को 30 जून को सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना उचित बताया है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष पूर्ण होने पर एक जुलाई से एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भीमखेडा कानपुर, जिला झालावाड से दिनांक 30.06.2020 को आदेश दिनांक 19.12.2019 के द्वारा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हुआ। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे सेवानिवृत्ति से पूर्व 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर एक वर्ष की सेवा पूर्ण उपरांत एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी दिनांक 30.06.2020 को अधिवार्षिकी आयु पश्चात् सेवानिवृत्त होने

पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 19.12.2019 के द्वारा अपीलार्थी दिनांक 30.06.2020 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और इस प्रकार अपीलार्थी सेवानिवृत्त होने से पूर्व 01 जुलाई से 30 जून तक एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है और सेवा नियमों के अनुसार विभाग द्वारा एक जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अपीलार्थी भी एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया है :-

"Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of C.P. Mundinamani (supra) and All India Judges Association (supra), it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1st July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitled to get notional payment on 1st July, notwithstanding their superannuation on 30th June.

The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners pension would consequently be refixed. The appropriate orders be issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order."

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत सेवानिवृत्ति होने पर एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि कार्मिक को नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान मामले में भी अपीलार्थी संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि उक्त तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के प्रकाश में नियमानुसार

आगामी दो माह की अवधि में अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2286/2024 चतुर्भुज नागर बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर, जिला जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य